प्रेस प्रकाशनी*

फरवरी 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन तथा साइबर धोखाधड़ियों पर कार्यदल की रिपोर्ट पर अभिमत आमंत्रित किया

1 फरवरी 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी हितधारकों एवं समग्रतः आम जनता से सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन तथा साइबर धोखाधड़ियों पर कार्यदल (अध्यक्षः श्री जी. गोपालकृष्णन, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक) की रिपोर्ट पर अभिमत/सुझाव आमंत्रित किए हैं। कृपया अपने अभिमत/सुझाव/विचार अंतिम तारीख 14 फरवरी 2011 तक प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, तीसरी मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई 400 005 को भेजें अथवा ई-मेल करें।

आपको यह याद होगा कि इस कार्यदल का गठन अप्रैल 2010 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में किया गया था। इसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी उपायों, साइबर धोखाधड़ियों, आईटी नियंत्रण एवं संबंधित क्षेत्रों की प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन से संबंधित रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को बढ़ावा देना है। यह रिपोर्ट 21 जनवरी 2011 को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर जारी की गई थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को 25 पैसे और उससे निम्न मूल्यवर्ग के सिक्कों का अंकित मूल्य पर विनिमय करने का अनुदेश दिया

1 फरवरी 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने छोटे सिक्का डिपो वाले सभी बैंकों को अपनी शाखाओं पर 25 पैसे और उससे निम्न मूल्यवर्ग के सिक्कों की अंकित मूल्य पर विनिमय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा। जनता इन बैंकों के किसी भी शाखाओं पर निम्न मूल्यवर्ग के सिक्कों का विनिमय कर सकती है। यह सुविधा रिज़र्व बैंक के सभी निर्गम कार्यालयों पर भी उपलब्ध होगी। इन बैंकों की शाखाओं/रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालयों पर 30 जून 2011 को कारोबार की समाप्ति तक सिक्कों का विनिमय किया जा सकता है।

1 जुलाई 2011 के बाद से 25 पैसे और उससे निम्न मूल्यवर्ग के सिक्कों को विनिमय हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आपको यह याद होगा कि सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 15 ए द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने 30 जून 2011 की प्रभावी तारीख से 25 पैसे और उससे निम्न मूल्यवर्ग के सिक्कों को संचलन से वापस लेने का निर्णय लिया है। इस तारीख से ये सिक्के लेखा तथा भुगतान के लिए वैध मुद्रा नहीं रहेंगे।

विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : इंडसइंड बैंक लिमिटेड

1 फरवरी 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि इंडसइंड बैंक लिमिटेड में संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ)/अनिवासी भारतीय (एनआरआइ)/भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआइओ) की सकल शेयर धारिता विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सीमा से कम हो गई है। अतः बैंक कंपनी के शेयरों की खरीद पर लागू प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। इंडसइंड बैंक लिमिटेड का नाम प्रतिबंधित सूची से हटाकर सतर्क सूची में रखा गया है। अतः इस बैंक के इक्विटी शेयरों की और खरीद की अनुमति केवल भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने पर दी जाएगी।

श्री करुप्पसामी ने भारतीय रिज़र्व बैंक के नए कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया

2 फरवरी 2011

श्री करुप्पसामी ने भारतीय रिज़र्व बैंक के नए कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया। कार्यपालक निदेशक के रूप में करुप्पसामी

* फरवरी 2011 में प्रकाशित महत्वपूर्ण प्रेस प्रकाशनी

व्यय और बजट नियंत्रण विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, विधि विभाग और शहरी बैंक विभाग का कार्यभार संभालेंगे।

श्री करुप्पसामी, कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यग्रहण करने से पूर्व रिज़र्व बैंक के कोलकाता कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक थे। श्री करुप्पसामी ने दो केंद्रीय कार्यालय के विभागों अर्थात बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग और शहरी बैंक विभाग के प्रमुख भी रहे हैं।

श्री करुप्पसामी वर्ष 1975 में भारतीय रिज़र्व बैंक से जुड़े। श्री करुप्पसामी ने अपनी विभिन्न क्षमताओं में विभिन्न विभागों का कार्यभार संभाला है। इनमें निर्गम विभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, बैंकिंग विभाग, कृषि ऋण विभाग, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग और शहरी बैंक विभाग रहे हैं। उन्होंने रिज़र्व बैंक के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में भी कार्य किया है। वे कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में सदस्य संकाय तथा रिज़र्व बैंक स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय, चैन्नै के प्रधानाचार्य भी रहे हैं।

श्री करुप्पसामी कतिपय क्षेत्रों में कार्यकारी दलों से भी जुड़े रहे हैं, जैसे कि सभी सहकारी बैंकों पर उच्चाधिकार समिति, शहरी सहकारी बैंकों के लिए रेटिंग संरचना, सीमापार पर्यवेक्षण और सतर्कता के लिए समेकित प्रणाली।

श्री करुप्पसामी अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं, भारतीय बैंक संस्था के प्रमाणित एसोसिएट हैं, बैंक प्रबंधन (एनआइबीएम) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हैं और प्राज्ञ हैं।

क्षेत्रीय निदेशक के रूप में श्री करुप्पसामी भारतीय बैंक के निदेशक बोर्ड के भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित सदस्य थे।

श्री करुप्पसामी पिछले हफ्ते श्री आनंद सिन्हा को उप गवर्नर का पद प्राप्त होने पर कार्यपालक निदेशक के रिक्त पद पर कार्यग्रहण करेंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक शीघ्र ही 'सी. सुब्रमणियम जन्म शताब्दी' विषय के ₹5/- के सिक्के परिचलित करेगा।

2 फरवरी 2011

उपर्युक्त मूल्यवर्ग के सिक्के निम्नलिखित आकार और धातु-संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात् :

सिक्के का मूल्यवर्ग	आकार और बाह्य व्यास	सरेशनों की संख्या	धातु संरचना
पांच रुपये	वृत्ताकार 23 मिलीमीटर	100	निकल पीतल जिसमें तांबा-75 प्रतिशत जस्ता-20 प्रतिशत निकल-5 प्रतिशत

ये सिक्के भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 में यथाउद्धृत एक वैध मुद्रा होंगें। परिचालन में पूर्व के पाँच रुपए के सिक्के वैध मुद्रा के रूप में बने रहेंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'विदेशी मुद्रा कारोबार पर आंतरिक नियंत्रण' के संशोधित दिशानिर्देश जारी किए

2 फरवरी 2011

आंतरिक नियंत्रण के दिशानिर्देश (आइसीजी) पहली बार 1981 में तैयार किए गए थे और इसका दिसंबर 1996 में संशोधन हुआ था। एक बार फिर इसे संशोधित करने की आवश्यकता हुई है। इसे संशोधित करने की आवश्यकता भारत और विदेश में विदेशी बाजारों का तेज गति से विकास होने तथा सूचना प्रौद्योगिकी का विकास और बैंकों में इसका प्रगामी प्रयोग होने का कारण हुई है। भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ, भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) संघ, भारतीय स्टेट बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अधिकारियों के एक समूह ने आंतरिक नियंत्रण के दिशानिर्देशों को समकालीन तथा बेंचमार्क दस्तावेज बनाने के लिए उसे अद्यतन बनाया है।

इस दस्तावेज को इस प्रकार तैयार किया गया है कि यह बैंकों को अपने विदेशी मुद्रा कारोबार परिचालनों में एक मानक स्वरूप उपलब्ध करा सकें। इसे अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध कराया गया है।

दि जनता को-ऑ. बैंक लि., गोधरा, जिला पंचमहल पर दण्ड लगाया गया

4 फरवरी 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दि जनता को-ऑ. बैंक लि., गोधरा, जिला पंचमहल पर भारतीय रिज़र्व बैंक के

अनुदेशों/दिशनिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए रुपये 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक पर यह दण्ड पूर्व निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शाई गई अनियमितताओं को जारी रखने तथा धन शोधन निवारण दिशानिर्देशों के अंतर्गत एफआइयू-आइएनडी को रुपये 10.00 लाख से अधिक के नकद लेनदेनों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के कारण लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

दि घोघम्बा विभाग नागरिक सहकारी बैंक लि., घोघम्बा, जिला पंचमहल पर दण्ड लगाया गया

14 फरवरी 2011

रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दि घोघम्बा विभाग नागरिक सहकारी बैंक लि., घोघम्बा, जिला पंचमहल पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए रुपये 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक पर यह दण्ड पूर्व निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शाई गई अनियमितताओं को जारी रखने तथा धन शोधन निवारण दिशानिर्देशों के अंतर्गत एफआइयू-आइएनडी को रुपये 10.00 लाख से अधिक के नकद लेनदेनों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत न करन के कारण लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

विदेशों से बड़ी निधियां प्राप्त करने के लिए पैसा न भरें: भारतीय रिज़र्व बैंक की सलाह

15 फरवरी 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता को विदेशों से धन के किसी भी प्रकार के प्रस्तावों के बारे में सावधान रहने की पुनः सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे प्रस्ताव जाली हैं और जनता से अनुरोध किया है कि यदि उन्हें ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होते हैं अथवा वे ऐसे किसी धोखाधड़ी का शिकार होते हैं तो वे तुरंत स्थानीय पुलिस साइबर क्राइम प्राधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराएं।

जनता से इस बात से भी सावधान किया गया है कि वे अनजान संस्थाओं की ऐसी योजनाओं/प्रस्तावों में पैसों का विप्रेषण न करें, क्योंकि ऐसे विप्रेषण अवैध हैं और भारत के किसी भी निवासी के विरुद्ध भारत के बाहर ऐसे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भुगतानों के संग्रहण और विप्रेषण करने पर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 का उल्लंघन करने के कारण कार्रवाई की जा सकती है। उन पर अपने ग्राहक को जाने मानदंड/धनशोधन निवारण मानकों से संबंधित विनियमों का उल्लंघन करने के कारण भी कार्रवाई की जा सकती है।

रिज़र्व बैंक ने आगे यह सूचित किया है कि वह पैसे की व्यवस्था का किसी भी प्रकार का कार्य, किसी भी नाम में नहीं करती है और ऐसे बोगस संप्रेषण के लिए जनता द्वारा भरे गये पैसों की चुकौती की कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेती है।

इस संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जनता रिज़र्व बैंक के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग के अधिकारियों अथवा केन्द्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग के अधिकारियों को कार्यालय घंटे (सोमवार से शुक्रवार सुबह 9.45 बजे से शाम 5.45 बजे तक) के दौरान टेलीफोन संख्या 022-22610589/22610618 अथवा 22601000 विस्तार 2772/2732 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा ई-मेल कर स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं। जनता अधिक जानकारी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाईट www.rbi.or.in के होम पेज पर दर्शाए गये टीकर से भी सावधानी की सलाह प्राप्त कर सकते हैं।

रिज़र्व बैंक ने कहा है कि उन्होंने भारतीय बैंक संघ और बैंकों को ऐसे जाली प्रस्तावों के बारे में अपने ग्राहकों को अत्यधिक सतर्क रहने के बारे में जानकारी देने को कहा। बैंकों को यह भी सूचित किया कि वे ऐसे जाली गतिविधियों में जब भी अपने ग्राहकों के खातों का दुरुपयोग होता है तो वे कानून अधिकार एजेंसियों के पास मामला उठाएं।

धोखेबाज किस प्रकार से कार्य करते है?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्व में भी कई अवसरों पर जनता को तथाकथित विदेशी संस्थाओं/व्यक्तियों अथवा ऐसी संस्थाओं/व्यक्तियों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे भारतीय निवासियों को विदेश से विदेशी मुद्रा में सस्ती निधियों के जाली प्रस्तावों/लॉटरी जीतने आदि

का शिकार बनने से आगाह किया था। धोखेबाज किस तरह से कार्य करते हैं इसके बारे में बताते हुए रिज़र्व बैंक ने कहा है कि धोखेबाज पत्र, ई-मेल, मोबाईल फोन, एमएमएस आदि के माध्यम से भोलीभाली जनता को आकर्षक प्रस्ताव भेजकर फंसाते हैं। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए ऐसे प्रस्ताव, ऐसे पत्रशीर्षों/वेबसाइटों के माध्यम से भेजे जाते हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक जैसी कोई सार्वजनिक प्राधिकरण जैसे दिखायी देती है। ऐसे प्रस्ताव ऐसी संस्थाओं के शीर्ष कार्यपालकों/वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए हों ऐसे दिखाई देते हैं। तथापि, केवल अधिकारियों का नाम सही होता है किंतु उनके हस्ताक्षर जाली होते हैं। प्रस्ताव दस्तावेज में रिज़र्व बैंक के कुछ विभाग में कार्य कर रहे भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारी का संपर्क पता भी दिया गया होता है।

धोखेबाज पहले तो शिकार व्यक्ति को विभिन्न अधिकारिक लगने वाले कार्यों के लिए छोटी-सी राशि जमा करने के लिए कहते हैं। ये पैसे वे प्रक्रिया शुल्क/लेन-देन शुल्क, कर समाशोधन प्रभार, अंतरण प्रभार, समाशोधन शुल्क आदि के रूप में प्राप्त करते हैं। शिकार व्यक्ति को निर्धारित बैंक खाते में पैसा जमा करने के लिए कहते हैं। ऐसे प्रभारों को इकट्ठा करने के लिए धोखेबाज के पास विभिन्न बैंक शाखाओं में एकल अथवा किसी संस्था के नाम में कई खाते होते हैं। धोखेबाज असली खाताधारकों को ऐसी जाली गतिविधियों से कुछ कमीशन प्राप्त कराने के लिए उनके खातों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पैसा जमा हो जाने के बाद अधिक विश्वास भरे कारणों को जताते हुए वे अधिक पैसों की मांग करते है। इन खातों में एक बार अच्छी रकम जमा हो जाने के बाद धोखेबाज पैसा आहरित कर लेते हैं अथवा विदेश में पैसा अंतरित कर देते हैं और लापता हो जाते हैं। कई निवासी पहले ही इसके शिकार हो चुके हैं और ऐसे जाली प्रस्तावों का शिकार होकर भारी मात्रा में पैसा गवां चुके हैं।

इलेक्ट्रानिक/ट्रेडिंग पोर्टल के माध्यम से समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा कारोबार पर भारतीय रिज़र्व बैंक का परामर्श

21 फरवरी 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज स्पष्ट किया है कि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1990 के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक/ट्रेडिंग पोर्टल के माध्यम से समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा कारोबार के लिए किसी भी स्वरूप में विप्रेषण की अनुमति नहीं दी गई है। रिज़र्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि फेमा 1999 के अंतर्गत विद्यमान विनियम निवासियों को घरेलू/समुद्रपारीय बाजारों में विदेशी मुद्रा में कारोबार की अनुमति नहीं देते हैं।

तथापि, निवासियों को समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन भारत में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों में कारोबार किए जानेवाले करेंसी फ्यूचर्स और विकल्प संविदाओं में कारोबार की अनुमति दी गई है।

पृष्ठभूमि

रिज़र्व बैंक ने इलेक्ट्रानिक/ट्रेडिंग पोर्टल द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों को देखा है जिसमें गारंटीकृत उच्चतर प्रतिलाभ के साथ विदेशी मुद्रा में कारोबार अथवा निवेश का प्रस्ताव दिया गया है। कई कंपनियां ऐसे एजेंटों की सेवाएं भी लेती हैं जो व्यक्तिगत रूप से भोले-भाले लोंगों से विदेशी मुद्रा कारोबार/निवेश योजनाएं शुरू करने के लिए सपंर्क करते हैं तथा सामान्य से अधिक/भारी प्रतिलाभों के वादे के साथ उन्हें लुभाते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक आम जनता को सतर्क करता है कि वे ऐसे अनधिकृत लेन-देन के लिए कोई राशि न तो भेजें अथवा न ही जमा करें। यह सलाह कई निवासियों को ऐसे लालच भरे प्रस्तावों का शिकार बनने तथा विगत में भारी राशि गवाने के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक हो गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंकों की 926 शाखाएं अग्रिम आयकर स्वीकार करेंगी

21 फरवरी 2011

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की कुल मिलाकर 926 कम्प्यूटरीकृत शाखाएं मुंबई और नवी मुंबई में अग्रिम आयकर स्वीकार करेंगी। यह व्यवस्था आयकर निर्धारितियों की सुविधा के लिए की गई है। 926 बैंक शाखाओं में से 862 शाखाएं सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक, 35 शाखाएं एचडीएफसी बैंक, 10 शाखाएं आइसीआइसीआइ बैंक और 19 शाखाएं एक्सिस बैंक की हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने आयकर निर्धारितियों को सूचित किया है कि वे उनकी सुविधा के लिए बनाई गयी इन स्थायी व्यवस्थाओं का लाभ उठाएं।

यदि आयकर निर्धारिती मुंबई और नवी मुंबई में बैंकों की विभिन्न नामित शाखाओं पर उपलब्ध करायी गई इन सेवाओं का उपयोग

करते हैं तो भारतीय रिज़र्व बैंक के काउंटरों पर लम्बी कतारों और असुविधा से बच सकेंगे तथा अंतिम तारीख से पहले ही अपना देय आयकर जमा कर सकेंगे।

अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कटक पर दण्ड लगाया गया

21 फरवरी 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कटक पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए रुपये 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक पर यह दण्ड भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना चार संग्रह काउंटर खोलने के कारण लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

दि सूरत मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, जिला सूरत पर दण्ड लगाया गया

21 फरवरी 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दि सूरत मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, जिला सूरत पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए रुपये 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक पर यह दण्ड गैर-बैंकिंग अस्तियों का निपटान करने, धर्मार्थ दान संबंधी रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने और प्रति लिखत रुपये 0.20 लाख की सीमा से अधिक चेकों की खरीद करने तथा अन्य पक्ष के "आदाता खाता" चेकों का संग्रहण करने के कारण लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

कमर्शियल हायर परचेस (इंडिया) लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

21 फरवरी 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए कमर्शियल हायर परचेस (इंडिया) लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 62, जीसीडीए कॉम्प्लेक्स, मरीन ड्राइव, कोच्ची-682031 है, को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 6 जनवरी 2011 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन अस्वीकृत किए जाने के बाद कमर्शियल हायर परचेस (इंडिया) लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

दि विरमगाम मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,विरमगाम, जिला-अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया

22 फरवरी 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 (ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दि विरमगाम मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विरमगाम, जिला-अहमदाबाद पर नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) नहीं दर्ज करने/वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी), नई दिल्ली को संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) न भेजे जाने तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्ववर्ती निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित अनियमितताओं को जारी रखने के

कारण 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया

22 फरवरी 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर निर्धारित सीमा से अधिक गैर-जमानती ऋणों की संस्वीकृति पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए रुपये 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

अमरेली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरेली पर दण्ड लगाया गया

22 फरवरी 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अमरेली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरेली पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (सीसीवी) के प्रावधानों तथा काला धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देश संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

दि जामनगर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जामनगर पर दण्ड लगाया गया

22 फरवरी 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दि जामनगर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जामनगर पर काला धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए रुपये 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

पारदर्शिता की ओर एक और पहल : भारतीय रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक का कार्यवृत्त जारी किया

22 फरवरी 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 25 जनवरी 2011 को घोषित मौद्रिक नीति की तीसरी तिमाही समीक्षा के अंतर्गत 19 जनवरी 2011 को आयोजित मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी)

की बैठक का कार्यवृत्त पहली बार बेबसाइट पर जारी किया। ऐसा समिति की बैठक के लगभग चार सप्ताह बाद तकनीकी सलाहकार समिति की चर्चा की प्रमुख मदों को वेबसाइट पर जारी किये जाने के निर्णय के अनुसरण में किया गया है।

पृष्ठभूमि

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2005 में मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) का गठन किया था ताकि मौद्रिक नीति तैयार करने में मौद्रिक अर्थशास्त्र, केंद्रीय बैंकिंग, वित्तीय बाज़ारों और सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में बाहरी विशेषज्ञ के साथ चर्चात्मक प्रक्रिया को अधिक मज़बूत बनाया जा सके। इस समिति को अंतिम बार जुलाई 2009 में पुनर्गठित किया गया था। इस समिति की भूमिका एक सलाहकार के स्वरूप की है। रिज़र्व बैंक इस समिति की सलाह पर विचार करता है लेकिन अंतिम निर्णय लेते समय इन विचारों को शामिल करना अनिवार्य नहीं है। नीतिगत कार्रवाईयों तथा निर्णय लेने की समय अवधि के लिए केवल रिज़र्व बैंक जिम्मेदार होगा।

मौद्रिक नीति को तैयार करने से संबंधित ऐसे सभी आँकड़ों/सामग्री को वेबसाइट पर जारी करने का रिज़र्व बैंक का प्रयास रहा है। रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित मुद्रास्फीति अनुमान संबंधी आँकड़ों को वेबसाइट पर जारी करना ऐसे प्रयास का एक उदाहरण है। चूँकि मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए तकनीकी सलाहकार समिति में की गई चर्चा की मदें महत्त्वपूर्ण होती हैं, समिति की बैठक के लगभग चार सप्ताह बाद समिति की चर्चा की प्रमुख मदें वेबसाइट पर जारी करने का निर्णय लिया गया है।

भारतीय रिज़व बैंक ने कॉर्पोरेट बाण्डों के लिए ऋण चूक स्वैप लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का प्रारूप जनता से अभिमत प्राप्त करने के लिए जारी किया

23 फरवरी 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ''कॉर्पोरेट बाण्डों के लिए ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का प्रारूप'' जनता से अभिमत प्राप्त करने के लिए जारी किया।

कॉर्पोरेट बाण्डों के लिए ऋण चूक स्वैप लागू करने संबंधी आंतरिक कार्यदल की रिपोर्ट जनता से अभिमत प्राप्त करने के लिए 4 अगस्त 2010 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर जारी की गई थी। जनता से प्राप्त अभिमतों पर विचार करने के बाद अंतिम रिपोर्ट भी रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर जारी की गई है। कॉर्पोरेट बाण्डों पर एकल नाम ऋण चूक स्वैप लागू करने संबंधी दिशानिर्देशों का प्रारूप प्राप्त सुझावों और प्रतिसूचना के अनुसरण में तैयार किया गया है।

कृपया दिशानिर्देशों के प्रारूप पर अपने अभिमत अंतिम तारीख 8 मार्च 2011 तक मुख्य महाप्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 23वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई- 400 001 को भेजें अथवा इ-मेल करें

भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्षतिपूर्ति संबंधी दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन स्थगित किया

23 फरवरी 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंकों और भारत में परिचालनरत विदेशी बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/जोखिम उठानेवालों तथा नियंत्रण कार्य करने वाले स्टाफ के लिए क्षतिपूर्ति संबंधी दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को वर्ष 2012-13 तक स्थगित कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि बैंकों को अपनी नीतियों की संरचना के लिए पर्याप्त समय दिया जा सके। ये दिशानिर्देश वर्ष 2011-12 में कार्यान्वयन के लिए निर्धारित किए गए थे। रिज़र्व बैंक ने इस बीच बैंकों को सूचित किया है कि वे पारिश्रमिक के जोखिम तथा कार्यनिष्पादन के साथ समरूपता के संबंध मे अपनायी जाने वाली पद्धतियों के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति के परामर्शी दस्तावेज देखे और उसके अनुसार प्रारंभिक कार्य की शुरुआत करें। यह दस्तावेज़ अक्तूबर 2010 में जारी किया गया था। रिज़र्व बैंक ने यह भी कहा है कि वह बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति द्वारा अंतिम दस्तावेज़ के प्रकाशन के बाद क्षतिपूर्ति पर अंतिम दस्तावेज़ जारी करेगा।

यह स्मरण होगा कि रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2010 में अपनी वेबसाइट पर निजी क्षेत्र के बैंकों तथा भारत में परिचालनरत विदेशी

बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/जोखिम उठानेवालों तथा नियंत्रण कार्य स्टाफ के लिए क्षतिपूर्ति संबंधी प्रारूप दिशानिर्देशों को जारी किया था। प्रारूप दिशानिर्देशों पर भारी संख्या में अभिमत/सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनकी जाँच की जा रही है। इसी बीच बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने अक्तूबर 2010 में आम जनता के अभिमत के लिए 'पारिश्रमिक के जोखिम तथा कार्यनिष्पादन के साथ समरूपता हेतु विभिन्न कार्यविधियां' शीर्षक एक परामर्शी पेपर प्रकाशित किया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2011-17 के लिए अपना सूचना प्रौद्योगिकी विज़न दस्तावेज़ जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर भारतीय रिज़र्व बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी विज़न 2011-17 संबंधी उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) की रिपोर्ट जारी की। उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में वर्ष 2011-17 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विज़न दस्तावेज़ शामिल है।

सूचना प्रौद्योगिकी विज़न दस्तावेज़ 2011-17 की अनुशंसाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए ध्यान देने योग्य बातें

- स्वयं को एक सूचना प्रधान ज्ञान संस्था के रूप में रूपांतरित करना;
- मानव संसाधन क्षमता का उपयोग, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के लिए एंटरप्राइज ढांचे की ओर जाना;
- समुचित कारोबारी प्रक्रिया के पुनःअभियंत्रण को अंगीकार करना;
- अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानकों के अनुरूप बनना तथा प्रभावी निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस) के साथ इष्टतम प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआइएस) के लिए आंकड़ा भंडार से कारोबारी आसूचना का उपयोग;
- सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, प्रभावी परियोजना प्रबंध, सुपारिभाषित सूचना नीतियों के साथ-साथ सूचना सुरक्षा ढाँचा विकसित करना, बेहतर विक्रेता प्रबंध और आऊट-सोर्सिंग व्यवहारों में सुधार लाना;
- कारोबार उद्देश्यों और सूचना प्रौद्योगिकी के बीच बेहतर समरूपता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं की समीक्षा।

बैंकों के लिए ध्यान देने योग्य बातें

विज़न दस्तावेज़ वाणिज्यिक बैंकों के लिए एमआइएस, विनियामक रिपोर्टिंग, समग्र जोखिम प्रबंध, वित्तीय समावेशन तथा ग्राहक संबंध प्रबंध जैसे क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने के लिए उनके कोर बैंकिंग समाधानों से आगे जाने के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करता है। यह बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के अंगीकरण से उत्पन्न संभावित परिचालनात्मक जोखिम पर भी विचार करता है जो वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं तथा यह आंतरिक नियंत्रण, जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली, धोखाधड़ी का पता करने/राकने और कारोबारी निरंतरता योजनाओं की जरूरत पर भी ज़ोर डालता है।

यद्यपि, बैंकों ने लेनदेन संबंधी प्रोसेसिंग के लिए प्रौद्योगिकी का नियोजन किया है, बैंकों की विश्लेषणात्मक प्रोसेसिंग अभी भी प्रारंभिक चरण में है। यह रिपोर्ट बैंकों से आग्रह करती है कि वे छोटे मूल्य के लेनदेनों की लागत में कमी लाने, ग्राहक सेवाओं को उन्नत करने तथा बैंक के भीतर और नियंत्रकों को सूचना के प्रभावी प्रवाह के अनुसार प्रौद्योगिकी का लाभ लेने के प्रति कार्य करें।

रिज़र्व बैंक शीघ्र ही उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन शुरू करेगा।

पृष्ठभूमि

रिज़र्व बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से वित्तीय क्षेत्र के रूपांतरण की प्रक्रिया में अहम भूमिका अदा की है। केंद्रीय बैंक के रूप में इसने वित्तीय क्षेत्र को शामिल करते हुए प्रौद्योगिकीय अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण सृजित करने का प्रयत्न भी किया है। चूँकि सूचना प्रौद्योगिकी का विकास वर्षों के दौरान हुआ है अतः यह महत्त्वपूर्ण है कि वित्तीय क्षेत्र भी इस क्षेत्र की गतिविधियों की समीक्षा करे ओर स्वयं को उनके अनुकूल बनाए।

15 वर्षों की अवधि में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने गठन के समय में इसके लिए निर्धारित अधिकांश उद्देश्यों को संतोषप्रद ढंग से पूरा किया है। यह अभिकल्प तैयार करने, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उन प्रणालियों को विकसित करने के लिए और उनका कार्यान्वयन करने में सहायक रहा है जिन्होंने रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यों को सपांदित करने में सहायता की है। चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों में हुए विकास का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की भूमिका, कार्य और संगठन से संबंध है, अत: यह आवश्यक है कि विभाग अपने उद्देश्यों की समीक्षा करे।

वांछित प्रौद्योगिकीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय क्षेत्र को प्रेरित करने हेतु रिज़र्व बैंक ने दो विज़न दस्तावेज़ प्रकाशित किए हैं जिसमें वर्ष 2005-08 और वर्ष 2008-10 की अवधि शामिल है। चूँकि पूर्ववर्ती सूचना प्रौद्योगिकी विज़न दस्तावेज़ का कार्यकाल वर्ष 2008-10 तक ही था, अत: विभाग की यह जिम्मेदारी थी कि वह वर्ष 2011-17 की अवधि के विज़न दस्तावेज़ का अगला संस्करण तैयार करे।

इस पृष्ठभूमि में गवर्नर ने एक उच्च स्तरीय समिति (अध्यक्ष: डॉ के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक) का गठन वर्ष 2011-17 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विज़न तैयार करने हेतु किया। इस समिति के विचारणीय विषय इस प्रकार थे :

क. रिज़र्व बैंक में तथा बैंकिंग क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों की अवधि के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी मूलभूत सुविधा की स्थापना में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के योगदान की समीक्षा करना;

ख. सामान्य रूप में बैंकिंग प्रणाली तथा विशेष रूप में रिज़र्व बैंक में अपेक्षाओं और आशाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2011-17 की अवधि के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विज़न दस्तावेज़ की तैयारी;

ग. सूचना प्रौद्योगिकी विज़न दस्तावेज़ को ध्यान में रखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की भूमिका, कार्य और संगठन को पुनः पारिभाषित करना;

घ. रिज़र्व बैंक तथा व्यापक रूप में समाज की सूचना जरूरतों को पूरा करने में विभाग की भूमिका का उल्लेख करना।

इस समिति की रिपोर्ट उस संदर्भ पर चर्चा करती है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी विज़न दस्तावेज़ तैयार किया गया है और इस दस्तावेज़ में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट रिज़र्व बैंक तथा बैंकिंग क्षेत्र में 15 वर्षों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी मूलभूत सुविधा की स्थापना में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआइटी) के योगदान की समीक्षा का वर्णन भी करती है। इसके अतिरिक्त यह रिज़र्व बैंक और समाज की सूचना ज़रूरतों की चर्चा करती है तथा अंत में सूचना प्रौद्योगिकी विभागों की भूमिका, दायित्व और संगठन को पुनः पारिभाषित करती है।

दि जूनागढ़ कमर्शिअल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जूनागढ़ पर दण्ड लगाया गया

28 फरवरी 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दि जूनागढ़ कमर्शिअल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जूनागढ़ पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदंडोंतथा काला धन आशोधन (एएमएल)दिशानिर्देशों का उल्लंधन करने के लिए लिए 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।